



बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

विकसित बिहार के 7 निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. – SPMU/01/2022

सूचना

Date : 16. 09.2022

एतद द्वारा राज्य के बाहर/राज्य के अंदर निजी एवं गैर सरकारी संस्थानों के प्राचार्य/संचालक को इस विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बिहार के बाहर अवस्थित संस्थानों के लिए निर्धारित मानक (NAAC 'A' , NIRF, and NBA) पूर्ण करने वाले संस्थान तथा बिहार के अंदर वैसे संस्थान जिनका मानक UGC/AICTE/राज्य विश्वविद्यालय एवं संबधित राज्य सरकार के विभाग से प्राप्त NOC अर्हता रखने वाले संस्थानों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत नए संस्थानों के नाम एवं पाठ्यक्रमों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित सीमा तय की गई है –

- वर्तमान वार्षिक सत्र वर्ष 2022–23 के लिए – 23 सितम्बर, 2022 तक,
- आगामी वार्षिक सत्र वर्ष 2023–24 के लिए – 01 जनवरी से 28 फरवरी तक।

संयुक्त निदेशक (मा०शि०)
—सह—प्रभारी पदाधिकारी, SPMU

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Email Id- spmubsc@bihar.gov.in | Ph. No.- 0612-2230059



विकसित बिहार के 7 निश्चय



बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

Advt. No. – SPMU/04/2023

सूचना

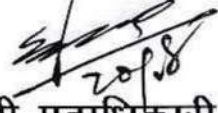
Date : 19 August, 2023

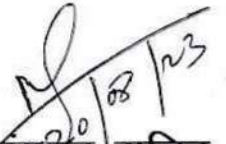
एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार अवस्थित निजी संस्थानों के लिए मानक निर्धारण की गई है, जो इस प्रकार है:-

i) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित निजी संस्थान जो पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच का सत्र अवधि (दोनों में जो कम हो) पूर्ण कर चुका है। उक्त संस्थान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र-2023-24 के लिए NIRF अथवा NBA अथवा NAAC की ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति SPMU कार्यालय को तीन माह के अंदर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। वैसे सभी संस्थानों को सत्र-2024-25 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग C तथा सत्र-2025-26 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग B से अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

ii) MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित ऐसे निजी संस्थान जिनकी पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच की सत्र अवधि पूर्ण नहीं हुई है, वैसे संस्थान इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे की पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच की सत्र अवधि (दोनों में जो कम हो) पूर्ण करते ही तीन माह के अंदर SPMU कार्यालय को NIRF अथवा NBA अथवा NAAC के ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध करवायेगे।

iii) उपरोक्त अर्हता तत्काल प्रभाव से बिहार अवस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए लागू होगी।


प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BSCC


संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh



बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

सूचना



Advt. No.-SPMU/04/2023

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार अवस्थित निजी संस्थानों के लिए मानक निर्धारण की गई है, जो इस प्रकार है:-

- i) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित निजी संस्थान जो पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच का सत्र अवधि (दोनों में जो कम हो) पूर्ण कर चुका है। उक्त संस्थान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र-2023-24 के लिए NIRF अथवा NBA अथवा NAAC की ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति SPMU कार्यालय को तीन माह के अंदर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। वैसे सभी संस्थानों को सत्र-2024-25 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग C तथा सत्र-2025-26 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग B से अर्हता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।
- ii) MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित ऐसे निजी संस्थान जिनकी पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच की सत्र अवधिपूर्ण नहीं हुई है, वैसे संस्थान इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेंगे की पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच की सत्र अवधि (दोनों में जो कम हो) पूर्ण करते ही तीन माह के अंदर SPMU कार्यालय को NIRF अथवा NBA अथवा NAAC के ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध करवायेगे।
- iii) उपरोक्त अर्हता तत्काल प्रभाव से बिहार अवस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए लागू होगी।

Email Id- spmubsc@bihar.gov.in

Ph. No.- 0612-2230059

प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BSCCसंयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR- 007291 (Education) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है